दिसंबर 11, 2020 सरकारी आदेश 2020-74

**सरकारी आदेश 2020-74**
**(COVID-19 सरकारी आदेश संख्या 70)**

**जबकि,** मार्च 2020 के आरंभ से इलिनॉय ने एक ऐसी वैश्विक-महामारी का सामना किया है जो असाधारण रूप से बड़े पैमाने पर बीमारी एवं जनहानि का कारण बनी है, तथा 830,000 से भी अधिक लोगों को संक्रमित कर चुकी है और इसने 14,000 से अधिक निवासियों की जान ले ली है; और,

**जबकि,** जैसे इलिनॉय कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) द्वारा उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा का सामना करता है और इसके अनुरूप स्वयं को ढ़ालता है, यह रोग एक बिलकुल नया, गंभीर, तीव्र श्वसन रोग है जो श्वसन संचरण के माध्यम से तेज़ी से फैलता है, और अभी तक इसका कोई प्रभावी उपचार या टीका नहीं मिला है और इससे संपूर्ण राज्य के निवासियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, प्रथम उत्तरदाताओं और सरकारों पर जो भारी दबाव पड़ा है वह अभूतपूर्व है; और,

**जबकि**, हमेशा विशेष रूप से किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान, इलिनॉय के निवासियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का संरक्षण करना राज्य सरकार के सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यों में से एक होता है; और,

**जबकि,** सार्वजनिक स्वास्थ्य शोध एवं मार्गदर्शन जिन सार्वजनिक स्थानों में सामाजिक दूरी के उपाय बनाए रखना कठिन हो वहाँ चेहरे पर कपड़े के कवर पहनने की आवश्यकता और प्रभावशीलता की ओर संकेत करता है, और यह संकेत देता है कि बाहर खुले में रोग फैलने का जोख़िम, भवनों के अंदर रोग फैलने के जोख़िम की तुलना में कम है; और,

**जबकि**, सार्वजनिक स्वास्थ्य मार्गदर्शन सलाह देता है कि जो लोग एक ही घर में नहीं रहते हैं उन के बीच कम से कम शारीरिक संपर्क COVID-19 के फैलाव को धीमा करने के लिए महत्त्वपूर्ण है; और,

**जबकि,** जैसे राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के दौरान COVID-19 इलिनॉय में फैल चुका है, और संपूर्ण राज्य में आपदा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां बदल चुकी हैं एवं लगातार बदल रही हैं, तो ऐसे में अगले कुछ माह में वायरस का प्रसार का मार्ग क्या होगा इसका स्पष्ट पूर्वानुमान लगाना अत्यंत कठिन हो गया है; और,

**जबकि,** 14,000 से भी अधिक इलिनॉय वासियों को दुखद मृत्यु देने एवं दसियों हज़ारों और निवासियों के शारीरिक स्वास्थ्य को नष्ट करने के अतिरिक्त, COVID-19 ने व्यापक आर्थिक हानि भी की है और यह अभी-भी लगातार पूरे राष्ट्र एवं राज्य में बड़ी संख्या में व्यक्तियों एवं व्यवसायों की आर्थिक खुशहाली को ख़तरे में डाल रहा है;

**जबकि**, राज्य के कई कार्यकारी अभिकरणों ने अपने सीमित संसाधनों को COVID-19 वैश्विक-महामारी पर दी जा रही प्रतिक्रिया पर केंद्रित किया है; और,

**जबकि**, COVID-19 वैश्विक-महामारी के कारण इलिनॉय कृषि विभाग (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ एग्रीकल्चर, (IDOA)) के लिए मांस व पोल्ट्री इकाइयों और पशुधन प्रबंधन इकाइयों के नियमन एवं पर्यवेक्षण के माध्यम से राज्य की खाद्यापूर्ति शृंखला पर प्रकोप के प्रभाव को संभालना आवश्यक हो गया है; और

**जबकि**, COVID-19 वैश्विक-महामारी के चलते पशुधन बाज़ार में आए व्यवधान के कारण IDOA के लिए मृत पशु निपटान अधिनियम (डेड एनिमल डिस्पोज़ल एक्ट) के अपने पर्यवेक्षण एवं नियमन के माध्यम से सुरक्षित एवं पर्यावरणीय पशु निपटान चिंताओं को हल करने के लिए अपने संसाधनों को पशुधन स्वामियों एवं उत्पादकों के साथ कार्य करने पर केंद्रित करना आवश्यक हो गया है; और,

**जबकि**, IDOA ऐसे कई अन्य उद्योगों का नियमन एवं उनकी जांच-पड़ताल करता है जो COVID-19 वैश्विक-महामारी से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, जिनमें कीटनाशक (पेस्टिसाइड) लगाने वाले, पशु आश्रय, पालतू पशुओं की दुकानें, और गैस स्टेशन शामिल हैं पर वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, और इन उद्योगों के सतत व उचित नियमन हेतु IDOA के लिए यह आवश्यक है कि वह दूरस्थ जांच-पड़ताल एवं प्रशिक्षण संचालित करने की नई कार्यविधियों की रचना करने में अतिरिक्त समय व संसाधन लगाए; और,

**जबकि**, IDOA द्वारा विनियमित उद्योगों पर COVID-19 वैश्विक-महामारी के हानिकारक प्रभाव के कारण IDOA के लिए व्यवसाय व्यवधान अनुदान कार्यक्रम (बिज़नेस इंटरप्शन ग्रांट प्रोग्राम) के समयबद्ध कार्यान्वयन के आयोजन और प्रबंधन में अतिरिक्त समय एवं संसाधनों का निवेश आवश्यक हो गया है; और,

**जबकि**, दिसंबर 11, 2020 को, COVID-19 के जारी प्रसार के अपेक्षित रूप से जारी रहने, और राज्य भर के लोगों द्वारा आगामी महीनों में जो लगातार हो रहे स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभाव महसूस किए जाएंगे उनपर विचार करते हुए, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

**जबकि**, ऊपर वर्णित महामारी के आपातकाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की प्रतिक्रिया में, मैं कार्यकारी आदेशों 2020-03, 2020-04, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-15, 2020-16, 2020-17, 2020-20, 2020-21, 2020-22, 2020-23, 2020-24, 2020-25, 2020-26, 2020-27, 2020-28, 2020-29, 2020-30, 2020-34, 2020-35, 2020-36, 2020-40, 2020-41, 2020-42, 2020-45, 2020-47, 2020-50, 2020-53, 2020-56, 2020-57, 2020-60, 2020-61, 2020-62, 2020-63, 2020-64, 2020-65, 2020-66, 2020-67, 2020-68, 2020-69, 2020-70, 2020-72, और 2020-73 को पुनः जारी करना आवश्यक पाता हूँ और उन कार्यकारी आदेशों के 'जबकि' खंडों को सम्मिलित करता हूँ;

**अतः** इलिनॉय के राज्यपाल के रूप में मुझमें निहित शक्तियों द्वारा, और इलिनॉय के संविधान एवं इलिनॉय आपातकाल प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इलिनॉय इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ऐक्ट), 20 ILCS 3305 के अनुभागों 7(1), 7(2), 7(3), और 7(8), 7(9) और 7(12) के अनुसरण में, और सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों में निहित शक्तियों के अनुरूप, मैं निम्नलिखित आदेश देता हूँ, जो दिसंबर 11, 2020 से प्रभावी हैं:

**भाग 1: सरकारी आदेशों का पुनः जारी किया जाना।**

सरकारी आदेश 2020-03, 2020-04, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-15, 2020-16, 2020-17, 2020-20, 2020-21, 2020-22, 2020-23, 2020-24, 2020-25, 2020-26, 2020-27, 2020-28, 2020-29, 2020-30, 2020-34, 2020-35, 2020-36, 2020-40, 2020-41, 2020-42, 2020-45, 2020-47, 2020-50, 2020-53, 2020-56, 2020-57, 2020-60, 2020-61, 2020-62, 2020-63, 2020-64, 2020-65, 2020-66, 2020-67, 2020-68, 2020-69, 2020-70, 2020-72, एवं 2020-73 निम्नवत:

**सरकारी आदेश 2020-04 (जेम्स आर. थॉम्पसन केंद्र (James R. Thompson Center) का बंद होना; राज्य कर्मचारियों के लिए बीमारी की छुट्टी की आवश्यकता का अधित्याग):**

सरकारी आदेश 2020-04 के अनुभागों 2, और 3 को पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है। अनुभाग 2 में शामिल कुछ भी केंद्रीय प्रबंधन सेवाएं विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ सेंट्रल मैनेजमेंट सर्विसेज़) को राज्य कर्मचारियों, राजकीय कार्यों में भाग लेने वाली आम जनता, और वे जनसामान्य जो व्यवसायों तथा फ़ूड कोर्ट के नियमित ग्राहक हैं, के लिए जेम्स आर. थॉम्पसन केंद्र

में प्रवेश और निकास के विशिष्ट बिंदु निर्धारित करने तथा यातायात नियंत्रित करने से वर्जित नहीं करता है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-07 (वैयक्तिक बैठक की आवश्यकताएँ):</u>**

सरकारी आदेश 2020-33 और सरकारी आदेश 2020-44 द्वारा संशोधित सरकारी आदेश 2020-07 के अनुभागा 6 को **जनवरी 9, 2021** तक फिर से जारी और विस्तारित किया गया है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-08 (राज्य संचालन सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट ऑपरेशंस):</u>**

सरकारी आदेश 2020-39 और सरकारी आदेश 2020-44 द्वारा संशोधित सरकारी आदेश 2020-08 के अनुभाग 3, 4 और 5 को **जनवरी 9, 2021** तक फिर से जारी और विस्तारित किया गया है।

सरकारी आदेश 2020-08 को निम्नवत भी संशोधित और पुनरीक्षित किया जाता है:

<u>अनुभाग 6. इलिनॉय वाहन कोड, 625 ILCS 5 के प्रावधान, जो वाहन पंजीकरण और लाइसेंस के समयातीत होने के बारे में बताते हैं, वे निम्न प्रकार से निलंबित किए जाते हैं: (1) नवंबर 2020 या दिसंबर 2020 में समयातीत होने वाले सभी मोटर वाहन पंजीकरण आगे बढ़ाए जाते हैं; तथा (2) अध्याय 3, अनुच्छेद IX, रेमिटन्स एजेंट्स, और अध्याय 5, डीलर्स, ट्रांसपोर्टर्स, रेकर्स और रिबिल्डर्स, के अनुसार जारी किए गए सभी लाइसेंस जो दिसंबर 31, 2020 को समयातीत होने हैं, को आगे बढ़ाया जाता है अगर दिसंबर 31, 2020 तक राज्य सचिव के कार्यालय में लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होता है।</u>

**<u>सरकारी आदेश 2020-09 (दूरभाष स्वास्थ्य (टेलीहेल्थ)):</u>**

सरकारी आदेश 2020-52 द्वारा यथा संशोधित सरकारी आदेश 2020-09 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-11 (इलिनॉय सुधार विभाग (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ करेक्शंस) अधिसूचना अवधि):</u>**

सरकारी आदेश 2020-11 का अनुभाग 4 पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-12 (स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पृष्ठभूमि जांच; इलिनॉय किशोर न्याय विभाग (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ जुवेनाइल जस्टिस) अधिसूचना अवधि:</u>**

सरकारी आदेश 2020-12 के अनुभागों 1, और 3 को पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-15 (इलिनॉय स्कूल संहिता (इलिनॉय स्कूल कोड) के प्रावधानों का स्थगन):</u>**

सरकारी आदेश 2020-15 के अनुभागों 5, 6, 7, 8, और 9 को पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-16 (सुरक्षा सेवाओं के लिए आवश्यक कक्षा प्रशिक्षण का स्थगन):</u>**

सरकारी आदेश 2020-16 का अनुभाग 2 पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-03 एवं 2020-17 (भांग (केनाबिस) की समय-सीमाएं एवं आवेदन):</u>**

सरकारी आदेश 2020-18 द्वारा यथा संशोधित सरकारी आदेश 2020-03 एवं 2020-17 पुनः जारी किए जाते हैं और सरकारी आदेश 2020-18 द्वारा निर्दिष्ट किए अनुसार प्रभावी रहेंगे।

**<u>सरकारी आदेश 2020-20 (सार्वजनिक सहायता आवश्यकताएँ):</u>**

सरकारी आदेश 2020-20 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-21 (इलिनॉय सुधार विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ करेक्शंस) के कैदियों का थोड़े दिनों का अवकाश):</u>**

सरकारी आदेश 2020-21 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-22 (बाल देखभाल अधिनियम 1969 के अंतर्गत प्लेस्मेंटज़; स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पृष्ठभूमि जांच अधिनियम के अंतर्गत अंगुलियों के निशानों की प्रस्तुतियां):</u>**

सरकारी आदेश 2020-22 के अनुभागों 4, 5, और व्यावृत्ति खंड (सेविंग्स क्लॉज़ को पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-23 (आपदा प्रतिक्रिया में संलग्न लाइसेंसशुदा पेशेवरों के लिए इलिनॉय वित्तीय एवं पेशेवर नियमन विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़ाइनेंशियल एंड प्रोफ़ेशनल रेगुलेशन) द्वारा की गई कार्रवाइयां):</u>**

सरकारी आदेश 2020-23 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-24 (इलिनॉय मानव सेवाएं विभाग विधि चिकित्साशास्त्र उपचार कार्यक्रम (डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसेज फ़ोरेंसिक ट्रीटमेंट प्रोग्राम); (इलिनॉय मानव सेवाएं विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसेज़) के कर्मचारियों की जांच पड़ताल:</u>**

सरकारी आदेश 2020-24 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-25 (ऋणानुबंध (गारनिशमेंट) एवं वेतन कटौतियां):</u>**

सरकारी आदेश 2020-55 द्वारा यथा संशोधित सरकारी आदेश 2020-25 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-26 (अस्पताल की क्षमता):</u>**

जबकि सरकारी आदेश 2020-26 के कई खंडों को पहले रद्द कर दिया गया था, सरकारी आदेश 2020-26 अपनी संपूर्णता में फिर से जारी किया गया है और **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया गया है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-27 (COVID-19 परीक्षण में पॉज़िटिव पाए गए शव):</u>**

सरकारी आदेश 2020-27 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-28 (औद्योगिक रेडियोग्राफी प्रमाणन):</u>**

सरकारी आदेश 2020-55 द्वारा यथा संशोधित सरकारी आदेश 2020-28 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-29 (पेशेवर बीमा लाइसेंसों का वैयक्तिक रूप से शिक्षण या परीक्षाएँ):</u>**

सरकारी आदेश 2020-29 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-30 (कालातीत वाणिज्यदूतावास-संबंधी पहचान दस्तावेज़; इलिनॉय मानवाधिकार आयोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइलिंग):</u>**

सरकारी आदेश 2020-30 के अनुभागों 1, 4, 5, और 6 को पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-34 (भांग (केनाबिस) संबंधी आवश्यकताएँ):</u>**

सरकारी आदेश 2020-34 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-35 (इलिनॉय विभाग सार्वजनिक स्वास्थ्य नियामक गतिविधियां, (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ रेगुलेटरी एक्टिविटीज):</u>**

सरकारी आदेश 2020-35 के अनुभागों 14, 15, 16, और 17 को पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-36 (विवाह अनुज्ञाएं (लाइसेंसिज़)):</u>**

सरकारी आदेश 2020-36 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-40 (बाल श्रम कानून):</u>**

सरकारी आदेश 2020-40 के अनुभागों 2, और 4 को पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-41 (खेलों पर दांव लगाना):</u>**

सरकारी आदेश 2020-41 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-42 (राजकीय मेले):</u>**

सरकारी आदेश 2020-42 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-45 भांग (केनाबिस) के लाइसेंस):</u>**

सरकारी आदेश 2020-45 अपनी संपूर्णता में फिर से जारी किया जाता है और सरकारी आदेश 2020-45 में निर्दिष्ट किया गए के अनुसार प्रभावशील रहेगा।

**<u>सरकारी आदेश 2020-47 (preK-12 स्कूलों में वैयक्तिव रूप से शिक्षण):</u>**

सरकारी आदेश 2020-47 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-50 (काउंटी जेलों से इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस में स्थानांतरण फिर से शुरू करना):</u>**

सरकारी आदेश 2020-50 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-53 (क्षेत्र 7 शमन):</u>**

सरकारी आदेश 2020-53 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-56 (क्षेत्र 1 शमन):</u>**

सरकारी आदेश 2020-56 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-57 (भांग (केनाबिस) के पहचान पत्र):</u>**

सरकारी आदेश 2020-57 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-60 (क्षेत्र 5 शमन):</u>**

सरकारी आदेश 2020-60 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-61 (क्षेत्र 7 और 8 शमन):</u>**

सरकारी आदेश 2020-61 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-62 (क्षेत्र 1 टियर 2 शमन):</u>**

सरकारी आदेश 2020-62 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-63 (क्षेत्र 4 और 10 शमन):</u>**

सरकारी आदेश 2020-63 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-64 (क्षेत्र 11 शमन):</u>**

सरकारी आदेश 2020-64 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-65 (क्षेत्र 9 शमन):</u>**

सरकारी आदेश 2020-65 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-66 (क्षेत्र 3 शमन):</u>**

सरकारी आदेश 2020-66 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-67 (क्षेत्र 6 शमन):</u>**

सरकारी आदेश 2020-67 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-68 (भांग (केनाबिस) रजिस्ट्री पहचान पत्र के नवीकरण):</u>**

सरकारी आदेश 2020-68 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-69 (क्षेत्र 2 शमन):</u>**

सरकारी आदेश 2020-69 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-70 (क्षेत्र 5, 7 और 8 टियर 2 शमन):</u>**

सरकारी आदेश 2020-70 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>सरकारी आदेश 2020-72 (आवासीय निष्कासन स्थगन):</u>**

सरकारी आदेश 2020-72, जिसे नीचे अनुसार संशोधित और पुनरीक्षित किया गया है, को उसकी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है और **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

अनुभाग 1. इस सरकारी आदेश के प्रयोजनों से, निम्नलिखित शब्दों को नीचे वर्णित के अनुसार परिभाषित किया गया है:

(a) "कवर्ड व्यक्ति" का अर्थ किसी आवासीय संपत्ति के ऐसे किसी भी किरायेदार, पट्टाधारी, उप-पट्टाधारी, या निवासी से है जो अपने मकानमालिक, आवासीय संपत्ति के स्वामी, या निष्कासन अथवा कब्ज़े की कार्रवाई के संचालन या उक्त कार्रवाई को आगे बढ़ाने के कानूनी अधिकार से युक्त किसी व्यक्ति या इकाई को, झूठी गवाही के दंड के अधीन इस आशय की घोषणा प्रदान करता है कि:

1. या तो व्यक्ति को (i) कैलेंडर वर्ष 2020 में $99,000 से अधिक की (या यदि संयुक्त टैक्स रिटर्न भरा जाता हो तो $198,000 से अधिक की) वार्षिक आय होना अपेक्षित नहीं है, या, व्यक्ति के लिए (ii) अमेरिकी आंतरिक राजस्व सेवा को 2019 में कोई भी आय सूचित करना आवश्यक नहीं था, या फिर, (iii) उसे केयर्स (CARES) अधिनियम की धारा 2001 के अनुसरण में आर्थिक प्रभाव भुगतान मिला था;
2. व्यक्ति COVID-19 से संबंधित किसी कठिनाई, जिसमें आय की उल्लेखनीय हानि, पूर्ति-योग्य कार्य के घंटों या वेतन की हानि, या अपनी जेब से किए जाने वाले व्ययों में सीधे तौर पर COVID-19 वैश्विक-महामारी से संबंधित वृद्धि शामिल हैं पर वह इन्हीं तक सीमित नहीं है, के कारण किराया या आवासीय भुगतान पूरी तरह चुकाने में असमर्थ है;
3. व्यक्ति, अन्य अनिवार्य व्ययों को हिसाब में लेते हुए, व्यक्ति की परिस्थितियों के अनुसार पूर्ण भुगतान के अधिकतम संभव समीप आंशिक भुगतान समय से करने के हर संभव प्रयास कर रहा है; और,
4. निष्कासन के कारण व्यक्ति के बेघर हो जाने की—या किसी नए एकत्रण अथवा साझा निवास स्थान के अत्यंत समीप जा कर रहने लगने की—संभावना है क्योंकि व्यक्ति के पास अन्य कोई आवास विकल्प उपलब्ध नहीं हैं।

(b) "घोषणा" का अर्थ इलिनॉय आवास विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रपत्र घोषणा (या, झूठी गवाही के दंड के अधीन ऐसी ही किसी अन्य घोषणा) से है जिसका उपयोग इस सरकारी आदेश के दायरे में आने वाले आवासीय संपत्तियों के किरायेदार, पट्टाधारी, उप-पट्टाधारी, या निवासी इस सरकारी आदेश की सुरक्षाओं का उपयोग करने के लिए कर सकते हैं। प्रत्येक मकान मालिक, किसी आवासीय संपत्ति के स्वामी, या निष्कासन अथवा कब्ज़े की कार्रवाई संचालित करने या उक्त कार्रवाई आगे बढ़ाने के कानूनी अधिकार से युक्त अन्य व्यक्ति या इकाई को, किसी भी आवासीय निष्कासन कार्यवाही, को आरंभ करने से पहले, प्रत्येक किरायेदार, पट्टेदार, उप-पट्टेदार को, और रहवासी को <u>कम से कम 5 दिन</u> पहले ,एक घोषणा प्रदान करनी होगी। जिसमें किरायेदारी की समाप्ति की सूचना जारी करने से <u>कम से कम 5 दिन पहले</u> भी एक घोषणा प्रदान करना शामिल है, पर वह इसी बात तक सीमित नहीं है। <u>घोषणा (Declaration) की सेवा (Service) को 735 ILCS 5 / 9-211 की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए।</u>

(c) "अनिवार्य व्ययों" में भोजन, जनोपयोगी सेवाएं (बिजली, पानी, गैस), फोन व इंटरनेट एक्सेस, स्कूली सामान, ठंडे मौसम के कपड़े, चिकित्सा व्यय, बच्चों की देखभाल, और कार भुगतान व बीमा समेत परिवहन की लागतें शामिल हैं पर वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

अनुभागा 7. कोई भी व्यक्ति या इकाई किसी भी व्यक्ति जिसके ऊपर कोई किराया बाकी नहीं है,के विरुद्ध 735 ILCS 5/9-101 *एवं अनुवर्ती* के अनुसरण में या के अधीन उत्पन्न होने वाली आवासीय निष्कासन कार्रवाई तब तक आरंभ नहीं कर सकता है जब तक कि वह कवर्ड व्यक्ति, अन्य किरायेदारों के स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए कोई प्रत्यक्ष ख़तरा या संपत्ति के लिए कोई आसन्न व गंभीर जोख़िम न प्रस्तुत करता हो। एक किरायेदार को इस खंड द्वारा कवर किए जाने पर घोषणा (Declaration) करने की आवश्यकता नहीं होगी।

**सरकारी आदेश 2020-73 (टियर 3 शमन):**

सरकारी आदेश 2020-73 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जनवरी 9, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

**भाग 2: संचय खंड (सेविंग्स क्लौज़)।** यदि इस सरकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस सरकारी आदेश के लागू करने को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या आवेदन के प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस सरकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया है।

**जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker)**
**राज्यपाल (गवर्नर)**

राज्यपाल द्वारा दिसंबर 11, 2020 को जारी
राज्य सचिव (Secretary of State) द्वारा दिसंबर 11, 2020 को दायर